डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 203 / 2025

गुरमीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी.एल.पी. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम्

1. नक्षत्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह
2. कौर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह
3. रमनदीप कौर पुत्री नक्षत्र सिंह
राजस्थान।
4. जसवीर कौर पत्नी नक्षत्र सिंह
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

} जाति जटसिख निवासी 4 डी.एल.पी. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते फैसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विवेक बुढानियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 113 / 52 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह पुत्र जंगीर सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी गुरमीत सिह को 1.139 हैक्ट.भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोटः– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.5.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 113/52 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्रसिह पुत्र जंगीर सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 4 डीएलपी के नामान्तरण संख्या 149/21 व इसी चक के नामान्तरण संख्या 152/21 व चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 52/46 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की फोटो प्रतियॉ पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह पुत्र जंगीर सिह के नाम चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 113/52 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 113/52 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह पुत्र जंगीर सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी गुरमीत सिह को 1.139 हैक्ट.भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.5.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(क) वादी गुरमीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह हक व हिस्सा की भूमि –

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
147 / 197	36	16 / 1 / 0.228 है., 16 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला, 17 / 0.253 है. 18 / 1 / 0.127 है.
148 / 198	50	1 / 1 / 0.215 है., 1 / 2 / 0.038 है. गै.मु. रास्ता, 11 / 1 / 0.215 है., 10 / 2 / 0.038 है. गै.मु. रास्ता,
कुल 1.139 है. मय गै. मु. खाला व रास्ता		

वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 4 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहा किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद कारण है। वाद पत्र बाबत् घोषणा व तकसीम खाता का हैं जो उचित 4/– रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। प्रतिवादी संख्या 5 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें वादी का खाता वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जावें व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज तहसील संगरिया के चक 4 डी.एल.पी. ज.स. 2073–2076 खाता सं. 113/52 में वादी को 1.139 है. का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी गुरमीत सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ. 18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 113/52 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 15/41 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एव चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 57/53 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दीयो की प्रति तथा चक 4 डीएलपी के नामान्तरण संख्या 149/21 व इसी चक के नामान्तरण संख्या 152/21 व चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 52/46 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की फोटो प्रतिया पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 203/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

गुरमीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी.एल.पी. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।

वादी

बनाम्

1. नक्षत्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह
2. कौर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह
3. रमनदीप कौर पुत्री नक्षत्र सिंह
राजस्थान।
4. जसवीर कौर पत्नी नक्षत्र सिंह

} जाति जटसिख निवासी 4 डी.एल.पी. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेश बुढानियां – वकील वादी
2. श्री विवेक बुढानिया – वकील प्रति.सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :– 13.5.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजियन पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक 4 डी.एल.पी. ज.स. 2073–2076 खाता सं. 113/52 में 4.048 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी प्रति संलग्न वादपत्र है। वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 व 3 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र/ पुत्री / है व प्रतिवादी सं. 4 वादी की माता है। वादी प्रतिवादी की वंशावली निम्न प्रकार है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक नं. 4 डी.एल.पी. ज.स. 2073–2076 खाता सं. 113/52 में 4.048 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1 की विरास्तन प्राप्त भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 हक व हिस्सा जन्म से बनता है। उक्त वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि का घरू विभाजन वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने काफी समय पुर्व अच्छी मुदी अनुसार ज. स. 2073–2076 खाता सं. 113/52 में 1.139 है भूमि हक व हिस्सा में प्राप्त हुई है व प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि पूर्व में चक नं. 4 डी.एल.पी ज. स. 2073–2076 खाता सं. 15/41 व 57/53 में प्राप्त कर लिया है। व प्रमिवादी सं. 2 व 3 ने हक व हिस्सा का परित्याग वादी व प्रति सं. 1 व 2 के पक्ष में ब. हि.ब. कर दिया है। वादी इसी अनुसार घोषण करवाने व खाता तकसीम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी के हक व हिस्सा की भूमि निम्न प्रकार से है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया